

दिनांक 4-10-19

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से यह वाद पत्र दिनांक 11-2-16 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादी को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपअफ़ि अधिकारी
महया (जिला दौला)